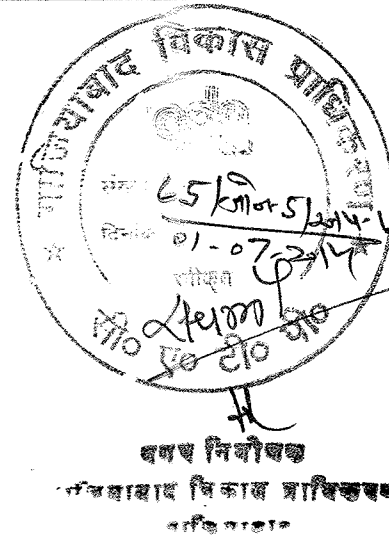




स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः, निरस्त समझी जायेगी।

म्यासुरा का दृष्टि व राज्य वन निधि अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 6% पेड़ लगाना अनिवार्य है।

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों के अन्तर्गत मानचित्र निम्न किया जाता है।

बहुत नियमों के अनुसार मुख्यतः भूखण्ड कोड़कप ही निर्माण कार्य किया जायेगा। यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।

स्थल पर एक बाड़ पर स्वीकृत मानचित्र की सत्यापन दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आरसीएसीड टाई बीम डालना लचित / आवश्यक है। जो डीपथिडो जेवर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

समस्त नियमों के अनुसार मुख्यतः भूखण्ड कोड़कप ही निर्माण कार्य किया जायेगा। यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।

स्थल पर एक बाड़ पर स्वीकृत मानचित्र की सत्यापन दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आरसीएसीड टाई बीम डालना लचित / आवश्यक है। जो डीपथिडो जेवर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

STILT FLOOR PARKING PLAN

PROJECT :- PROPOSED GROUP HOUSING ON PLOT NO.-GH-02, NH-24, VILLAGE-SHAHPUR, BAMBHETA, DISTT.-GHAZIABAD (U.P.)		
BUILDERS & PROMOTER :- SMV AGENCIES PVT. LTD.		
ARCHITECTS GAURAV SINGLA H/ 169, SEC-63, NOIDA (U.P.) PH: 0120-4777700, Mob: 9560098445, 9971998445 e-mail: gsingla32@gmail.com,		
OWNER'S SIGN: _____ ARCHITECT'S SIGN: _____		
DRAWING TITLE: TOWER- R1 STILT FLOOR PARKING PLAN		
SCALE	DEALT BY	DATE
DESIGN BY	CHECKED BY	DWG. No. 40

V.D. SHARMA
M.E.(STRUCTURES)
OPTIMUM
DESIGN PVT. LTD.
ZC/335, VASUNDHARA, GHAZIABAD

